

5.1.2021 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष
 उपस्थित। वादी सं० 1 की हौर से Adv. लक्ष्मण
 सिंह ने वकालतनामा पेश किया, जो शान्ति
 रहे। अधि० वादी ने द० 02283 CPT पेश
 कर निवेदन किया है कि वादी सं० 2 फोन
 ही चुका है, जिसका मूल्य उक्त पत्र की
 छांया प्रति संलग्न है। कतः द० स्वीकार
 की जाकर वादी सं० 2 के विधिक कारिगार
 को रैकॉर्ड पर लिया जावे। प्रतिवादीगण को
 द० स्वीकार करने पर कोई डिपॉजिट नही है।
 कतः द० स्वीकार की जाकर वादी सं० 2 के
 कारिगार को रैकॉर्ड वादी रैकॉर्ड पर लिया जाय
 है। वादी सं० 1 स्वयं उपस्थित वादी सं० 2 के
 कारिगार की हौर से Adv. लक्ष्मण सिंह उप०
 वादी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता वाड पत्र
 में आगे कार्यवाही नही चाहते हैं। वादी
 स्वयं एवं उनके अधिवक्ता के निवेदन को
 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाड पत्र
 जारी विडॉल रवाजि विवा जाया है।
 पत्रावली जिसल बुकार होकर कारिगार लम्बर
 हो। निर्णय रूपले न्यायालय सुनाया गया।
 पत्रावली नम्बर से कर की जावे।

LTI
 उपखण्ड
 समूह-1
 वादी सं०
 की अंतरक
 9.11.21
 सं. कार्यवाही
 नही चलते
 व (1)

सहायक कलेक्टर
 एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
 डेगान (नागौर)

